

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 20 जुलाई 2015

पत्र संख्या-1/एल1-10-15/2015 गृ0आ0 5064 /श्री निशान्त कुमार तिवारी, भा0पु0से0 (2005), पुलिस अधीक्षक, पूर्णियों को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 20.07.2015 से 30.07.2015 तक कुल 11 (ग्यारह) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री तिवारी के उक्त अवकाश अवधि में श्री क्षत्रनील सिंह, भा0पु0से0 (2005), पुलिस अधीक्षक, कटिहार अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पूर्णियों के प्रभार में रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(कौशलेन्द्र पाठक)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-15/2015 गृ0आ0 5064 /पटना, दिनांक 20 जुलाई, 2015
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-15/2015 गृ0आ0 5064 /पटना, दिनांक 20 जुलाई, 2015
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पूर्णियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-15/2015 गृ0आ0 5064 /पटना, दिनांक 20 जुलाई, 2015
प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्री निशान्त कुमार तिवारी, भा0पु0से0 (2005), पुलिस अधीक्षक, पूर्णियों/श्री क्षत्रनील सिंह, भा0पु0से0 (2005), पुलिस अधीक्षक, कटिहार/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।